

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मई 2020 — वैशाख 29, शक 1942

गृह (सी अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-59/गृह-सी/2020. — जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्रतिवेदनों से राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 के तहत दो माह की अवधि हेतु जारी निषेधाज्ञा आदेश, दिनांक 19-03-2020 की अवधि लगभग समाप्त हो रही है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है।

राज्य के समस्त जिला दण्डाधिकारियों द्वारा वर्तमान स्थिति में भी कोरोना वायरस की संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाये जाने एवं अभी भी संक्रमण का फैलाव कई स्थानों पर संभावित होना लेख किया गया है। अतः राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की आपात स्थिति से बचाव हेतु वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जिलों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उक्त निषेधाज्ञा अवधि को आगे यथावत रखना अपरिहार्य हो गया है।

अतः राज्य सरकार, एतद्वारा समस्त जिलों में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 144 (4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य के समस्त जिला दण्डाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरन्तरता में बनाये रखते हुए आगामी 03 माह तक यथावत बनाये रखने का निर्देश देती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन डी कुंदानी, उप-सचिव.